

which may satisfy the aspirations and needs of the people.

Let the Government make a statement on how it views situation in Nepal, how the latest developments will affect our ties with Nepal, our security environment and the current problems under discussion relating to trade, transit, etc. with Nepal.

I hope the Government will make a statement before the House adjourns tomorrow.

Ill-treatment of AIR Hostesses of Indian Airlines and AIR India.

SHRI SUCOMAL SEN (West Bengal): I would like to refer to a matter connected with some adverse publicity which is going on against India and the Indian Government in a foreign country. This is because of mishandling of certain issues by the Civil Aviation Ministry and because of some wrong steps taken by them. You know Sir, that we have raised in this House again and again the matter regarding the discriminatory treatment meted out to some air hostesses of Air India and Indian Airlines. Sir, after many petitions they made certain recommendations for removing those discriminations. It was done after 100 Members of Parliament sent a memorandum to the Government demanding removal of discriminations. The Government of India, through its Civil Aviation Ministry issued a notification on 15th of October, 1989, asking the Civil Aviation Ministry to take certain steps for removing these discriminations in respect of retirement age of the air hostesses etc. The retirement age of the air hostesses which was formerly 45 years, was increased to 58 years through the notification at par with the other male crew. Now what has happened? It has been stipulated in the notification that after 45 years of age there should be a test of physical fitness. This physical fitness test is being interpreted by the Civil Aviation Ministry, the Indian Airlines and the Air India as a medical test of the crew. It is not 45 years now. They have started medical fitness test after 35 years of

age. This is one aspect.

There is another aspect also. The Indian Airlines say that they will allow the air hostesses to fly up to 58 years of age after a medical examination every year. But the Air India says that the retirement age will be 58 years but they will be grounded at the age of 45 years. There are foreign nationals who have been appointed as air hostesses in Air India. One of the Japanese air hostesses who is working in the Air India was allowed to fly after 45 years of age. Sir, in Japan there is a very stringent Act against discrimination on the basis of sex. So, the Japanese and other foreign nationals were allowed to fly after 45 years of age. One Japanese air hostess was allowed to fly for 5 months after 45 years of age. All of a sudden she was grounded on the ground that the Civil Aviation Ministry or the Air India had got a new directive from the Government of India saying that the air hostesses should not be allowed to fly after 45 years of age. Now the Japanese air hostesses have filed a case in a Tokyo court. The Government of India, through the Air India, have submitted an affidavit in the Japanese court saying that it is the Government of India's decision not to allow the air hostesses to fly after the age of 45 years. I feel that it is most derogatory. The newspapers in Japan have started a campaign against the Government of India saying that there is discrimination on the basis of sex in India and even foreign nationals are not allowed to fly above the age of 45 years. Therefore, I feel that the Civil Aviation Ministry should take care of it. They should modify or improve the notification so that all types of discriminations against the air hostesses are totally removed. Thank you.

Incident of Setting 45 Houses of Harijans on Fire by Higher Caste People in Aligarh, Uttar Pradesh

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) :

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इस वर्ष

देश में जहाँ गैर कांग्रेसी सरकारें हैं वहाँ पर होली रंग से नहीं बल्कि हरिजनों के खून और इज्जत में खेली गई। मान्यवर, इस संबंध में मैं उल्लेख करना चाहती हूँ कि अलीगढ़ से 25 किलोमीटर दूर मासनी विधानसभा क्षेत्र में एक रुदायन नामक गांव में 45 हरिजनों के, जाटवों के घर स्वर्ण द्वारा जला दिये गये। दाताराम नाम के एक हरिजन को गोली मार दी गई और उसके बाद उसको खलिहान में डाल कर के जिन्दा जिला दिया गया। इसके पहले राष्ट्र भां अमर गहीद श्रीमती इन्दिरा गांधी की मूर्ति जो कई वर्षों से इस गांव में लगी हुई थी उसको तोड़-फोड़ डाला गया। यह बड़े शर्म की बात है। मान्यवर, जाती जुनून नशे में इस तरह का यह कांड किया गया है। मैं और कुमारी सईदा खातून संसद जो घटना स्थल पर गये और वहाँ के अवशेष देखे। मान्यवर, सब से बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस घटना में भी जैसे मध्य प्रदेश में शिवपुरी के सलइया कांड में वहाँ का प्रधान और सरपंच इन्तवाल्व थे, ठीक उसी तरह से इस कांड में भी रुदायन गांव का प्रधान इन्तवाल्व था।

3.00 P.M.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : प्रधान कौन है ?

श्रीमती सत्या बहिन : और शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को बचाने की...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : प्रधान किस पार्टी का है।

श्रीमती सत्या बहिन : वह अवश्य आपकी पार्टी का होगा।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जी नहीं, कांग्रेसी पार्टी का है।

श्रीमती सत्या बहिन : आपकी सरकारें हैं, फिर आपने पकड़ा क्यों नहीं... (व्यवधान)

आप अपनी जिम्मेदारी तो बच नहीं सकते... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अगर कांग्रेस पार्टी का है तो... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Order, order.

डा० अब्दुल अहमद खान (राजस्थान): किस तरह से हैवानियत से महिलाओं के साथ लोग पेश आ रहे हैं, हैवानियत का रवैया उनके साथ अपनाया जा रहा है सवाल मानवता का है, किसी पार्टी का नहीं है... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): You please continue.

श्रीमती सत्या बहिन : मान्यवर, शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : (बिहार) : बापू, महिलाओं को बोल रहे हो। आपके लिए शर्म की बात है।

डा० बापू कालबोते (महाराष्ट्र) : आपके लिए भी और हम सबके लिए शर्म की बात है। लेकिन गैर-कांग्रेसी और कांग्रेसी मत करिये।

श्रीमती सत्या बहिन : मुझे अफसोस है कि...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : वह सवाल माथुर जी ने किया है... (व्यवधान) वे किस पार्टी के सदस्य हैं पहले अपनी सदस्यता बतायें। हमने सवाल नहीं किया। सवाल उन्होंने किया है।

श्रीमती सत्या बहिन : मान्यवर, शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश में हैं और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और इसके भी अधिक शर्म की बात, दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ घर तो पुलिस के गांव में आने के बाद दरोजा जी के संरक्षण में, जो वहाँ के थानेदार थे उनके संरक्षण में जलाये गये। कई लोग घायल हो गये। घरों

के जेवर और नगदी लूट ली गयी। शिक्षित हरिजनों और उनके बच्चों के सर्टिफिकेट, पुस्तकें और डिग्रियां जला दी गयीं। मान्यवर, एक घर में 14 बच्चों को बंद करके उसमें आग लगा दी गयी। लेकिन गांव के एक प्यारे जाल वाल्मीकि नाम के एक आदमी ने पोछे से दीवार काटकर उन 14 बच्चों को निकाला वरना कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती। मान्यवर, सरकार पीड़ित हरिजनों की कोई समुचित सहायता न दे करके उनके साथ अन्याय और मजाक कर रही है अपराधी गांव के लोगों को अभी तक धमका रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाये और मृतक दाताराम जिसको जीवित जला दिया गया गोली मार कर उसको एक लाख रुपये का और जिनके घर जला दिये गये उनको 50-50 हजार रुपये का प्रत्येक को मुआवजा दिया जाये तथा मान्यवर, जिस व्यक्ति ने 14 बच्चों को, जीवित निकास है, उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। मान्यवर चिंता की बात यह है कि जनता दल की सरकार आने के बाद योजनाबद्ध रूप से पहली होली हरिजनों के खून से खेला गयी। यह शर्मनाक बात है... (व्यवधान)

डा० बापू कालदाते : कितने बतायें आपके समय के। यह कहां की मानवता है। कितने बतायें आपके 5 साल के हम आपको।

श्रीमती सत्या बहिन : यह बीभत्स कांड वहां हुआ था और ठीक होली के दिन ही कई जगहों पर ऐसे कांड हुए। इसमें यह जाहिर होता है कि ये नियोजित कांड किये जा रहे हैं और कराये जा रहे हैं और इसमें सरकारें संरक्षण दे रही हैं। मान्यवर, जब 2 मार्च को सदन में सलैया कांड का सवाल हम लोगों ने उठाया था तो गृह मंत्री जी ने जो उस समय भी सदन में मौजूद थे, 27 तारीख को भाषवासन दिया था कि हम जांच करके भदन को बतायेंगे। लेकिन गृह मंत्री जी जो सदन में हैं, आज तक शायद सोये हुए हैं। मान्यवर, उनको जगा दीजिए ताकि सरकार इन कांडों

पर कुछ अंकुश लगाये और अपराधियों को पकड़ कर अपनी जिम्मेदारी निभाये। इसके साथ ही मान्यवर एक और बात मैं बताना चाहती हूं अपने उत्तर प्रदेश की ही और जिसे बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यवर, गत 13 फरवरी, 1990 को एक हरिजन इंजीनियर को आजमगढ़ के एक विधायक और उनके भाई ने मार डाला। जिसकी रिपोर्ट भी मृतक के परिवार जनों द्वारा की जा चुकी है। मान्यवर, उस इंजीनियर को अस्ती हजार रुपये के फर्जी बिल के भुगतान के लिए यह बी० एस० पी० का विधायक दबाव डाल रहा था और उस सजातीय विधायक को वहां के मुख्य मंत्री का संरक्षण मिला हुआ है।

तो, मान्यवर, यह घटनायें इतनी शर्मनाक घटनायें हैं। तो मैं कहती हूं कि या तो जनता दल सरकार को... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसकी जांच हो गई सी०आई०डी० से... (व्यवधान)

श्रीमती सत्या बहिन : और फिर यह वैंल्यू-वैल्यू पालिटिक्स की बात करते हैं। सी०आई०डी० जांच की आड़ में अपराधियों को बचा रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री ईश बत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : यह राजनीतिक द्वेष के कारण मुख्य मंत्री के खिलाफ आरोप लगा रही हैं।... (व्यवधान)

श्रीमती सत्या बहिन : तो इनको शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको इस्तीफा देना चाहिए।

मान्यवर, यह घटना बड़ी शर्मनाक है और दुख यह है कि जहां कांग्रेस सरकारें नहीं हैं, वहीं पर ऐसी बातें ज्यादा हो रही हैं।

डा० अब्दुर रहमान खान : इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो व्यक्ति दोषी पाये जाये, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।... (व्यवधान)

श्री राम नरेश बाबू (उत्तर प्रदेश) :
ऐसी नृशंस घटना जो अलाहाबाद में हुई है, यह बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है और विशेष रूप से ऐसे समाज के प्रति जिनके 45-47 घर जलाये गये एक आदमी को पीट कर के जिस तरह से जिन्दा जला दिया गया, उधर के सदस्यों को भी इस तरह की शर्मनाक घटना के साथ पूरी सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति ही नहीं, बल्कि मानवता के आधार पर यह भी होना चाहिए कि जो सत्या बहिन ने स्वाल रखा है कि सरकार ने अभी तक जो कार्यवाही नहीं की है, इसमें कार्यवाही होनी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है, उन्हें वक़्त नहीं देना चाहिए मैं नहीं कहता कि जिस पार्टी का प्रधान है, किस पार्टी का नहीं है, स्वाल यह नहीं। स्वाल यह है कि जो अपराधी लोग, अपराधी तत्व हैं और तिन लोगों के जरिए यह घटना घटी है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि किसी भी तरह से भविष्य में ऐसी घटनाएँ, जो घट जानी हैं, ऐसे वर्ग के साथ घट जानी हैं, जो हमेशा से उपेक्षित समाज रहा है, निज समाज रहा है, नहीं होनी चाहिए, यह बहुत ही निंदनीय और घणित है।

इसलिए ऐसे मामले पर मैं अपने को सम्म्वद करता हूँ और सरकार का ध्यान उधर जल्दी जाना चाहिए और उनको सजाय दो जानी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

Bomb blast in a bus at Panipat

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to raise the issue of a gruesome incident that happened in Panipat killing more than 12 persons and injuring about 34 when a powerful bomb exploded in a bus at Panipat bus stand.

Mr. Vice-Chairman, Sir, this is nothing but a terrorist activity. It was decided by the Governments, especially by the Punjab and Haryana Governments, that they will keep policemen in the buses so that they

can check the passengers and their luggage when they board buses. Sir, I was told that in this bus heavy luggage was there, which had not been checked up and it was from this luggage that a powerful bomb, which had a time device in it, exploded and the bus was completely blown up and the passengers travelling in the bus were also thrown out. Actually, Sir, it is only due to the lack of security by the administration that this incident took place and the Central Government is also responsible for it.

Sir, it is a known fact that in Punjab and Haryana the terrorist activity is going on, the buses are stopped by the terrorists and the passengers are being massacred. In such a situation, the callous attitude on the part of the administration, is not being vigilant and posting armed guards in buses for the safety of the passengers is not understood.

Sir, the eye-witness accounts reveal that there were blood-stained bodies and other luggage including that of fruits and vegetables. The impact of the bomb blast was so severe that the people became panicky at the bus stop and they started running in all directions. Fortunately for them, nearby there was a hospital and with the help of the local people, the injured persons were taken to the hospital and their lives were saved. Two of the passengers travelling in the bus have given a statement that the bomb blast took place within three minutes of the bus coming to a halt, for a brief stopover, at the Panipat bus-stand and that the persons were just flung out of the bus.

I would request the hon. Home Minister who is sitting here... (Time-bell rings) to take care of the passengers who travel in buses in the terrorist-affected areas, particularly, in Haryana, Himachal Pradesh, Kashmir and Punjab. The passengers should be given full protection. Not only the State Government is responsible for it. The Central Government is also responsible for it. In this connection,